

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/7709

जयपुर, दिनांक: 8-11-2014

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- आयोग का पत्रांक 4138 दिनांक 19.9.2014

महोदय,

आयोग के संदर्भित पत्र द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गये थे। दिशा निर्देशों में जिन पंचायतों की सीमा परिसीमन की प्रक्रिया में अपरिवर्तित रही हैं वहाँ 10 नवम्बर तथा जहाँ परिसीमन के दौरान पंचायतीराज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन होना था, उन क्षेत्रों के लिए 20 नवम्बर, 2014 मतदाता सूचियों के लिए प्रारूप प्रकाशन की तिथियाँ निर्धारित की गई थी।

2. पंचायतीराज विभाग द्वारा परिसीमन की कार्यवाही के पश्चात् पुनर्सीमांकन, पुनर्गठित पंचायती राज संस्थाओं का गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित किया जा चुका है। नोटिफिकेशन की प्रति आयोग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। अतएव परिसीमन से प्रभावित तथा अप्रभावित सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदाता सूचियों का संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है –

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	18 नवम्बर, 2014 (मंगलवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वाडों/मतदान केन्द्रों पर पठन	19 व 20 नवम्बर, 2014
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	27 नवम्बर, 2014 (गुरुवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	23, 24 एवं 26 नवम्बर, 2014
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	6 दिसम्बर, 2014 तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	16 दिसम्बर, 2014 तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	20 दिसम्बर, 2014 को

3. इस क्रम में आयोग यह निर्देशित करता है कि, आपके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो भी प्रपत्र सी-1, डी-1 एवं डी-2 तैयार किये गए हैं, उनका गहन परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लें कि किन-किन पंचायती राज संस्थाओं के कौन-कौन से प्रपत्र यथावत रहेंगे व किन-किन में परिवर्तन होना है।

4. जिन पंचायती राज संस्थाओं के इन प्रपत्रों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उनकी मतदाता सूची की पीडीएफ यथावत रहेगी एवं यथारूप उपयोग में ली जाएगी। आयोग की esuchi.rajasthan.gov.in पर इन पीडीएफ के पुनः वेलिडेशन की कार्यवाही निम्नानुसार किया जाना सुनिश्चित करें –

आपको राज्य निर्वाचन आयोग से PDF तैयार करवाकर दी गयी है जिसे देख कर आपको Dash Board पर जाकर Urgent & Important Box में Highlighted Link में “Please submit Verification Certificate पर Click करें।



अब आपके सामने Verification Certificate का प्रारूप खुल जावेगा। इसमें डाटा सही होने की स्थिति में आपको I Accept Check Box पर Click करना है एवं Confirm Button पर भी click करना है।

महत्वपूर्ण : Missing PDF यदि कोई हो तो DashBoard पर जाकर Report Remaining Pdf पर Click करें और ग्राम पंचायत व वार्ड का नम्बर सलेक्ट कर Message Box में Message Type कर Save बटन पर Click करें।

5. जिन पंचायती राज संस्थाओं के सी-1, डी-1 एवं डी-2 प्रपत्र में परिवर्तन होना है व जिन नई सृजन पंचायतों व पंचायत समितियों की सूचना इन प्रपत्रों में तैयार करनी है, उनकी प्रविष्टियाँ व डेटा की एन्ट्री फॉर्मेट सी-1, डी-1 एवं डी-2 के वर्जन 1.2 में कर esuchi.rajasthan.gov.in में अपलोड करें। आयोग द्वारा इस प्रकार अपलोड किए जाने वाली समस्त सूचना के लिए अंतिम तिथि 16.11.2014 निर्धारित की गई है। जिसे किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आपके द्वारा यह प्रपत्र अपलोड के तत्काल बाद आगे निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाए:-

(i) C1, D1, D2 Upload करने के बाद उसके नीचे दिए हुए “Generate Draft Voter List” पर Click करें। इसमें लगभग 1 घन्टा का समय लगना सम्भावित है।

(ii) Dash Board पर वापिस आएँ एवं View Draft List पर Click करें।

(iii) ग्राम पंचायत, वार्ड नम्बर Select करें। आपको इस सलेक्टेड वार्ड की वोटर लिस्ट दिखाई देगी।

(iv) इसे चैक कराएं, यदि कोई गलती है तो वापिस C1 Document Upload करें और पुनः Draft Voter List Generate करें यानि बिन्दु सं. 1, 2 व 3 पुनः दोहराएं। यदि सही है तो उसी पृष्ठ पर Sr.No.4 पर “Approve for PDF” बटन पर Click करें।

महत्वपूर्ण : जब तक आप Approve for PDF बटन पर Click नहीं करेंगे, तब तक आपका PDF बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी और यह माना जायेगा कि आप द्वारा इस हेतु कोई डाटा आयोग को नहीं भेजा है।

(v) इसके तुरन्त बाद आपको राज्य निर्वाचन आयोग से PDF तैयार करवाकर दी जावेगी। जिसे देख कर आप Dash Board पर जाकर Urgent of Important Box में Highlighted Unit में “Please submit Verification Certificate पर Click करें।

(vi) अब आपके सामने Verification Certificate का प्रारूप खुल जावेगा। इसमें आपको डाटा सही होने की स्थिति में I Accept Check Box पर Click करना है एवं Confirm Button पर click करना है।

महत्वपूर्ण : Missing PDF यदि कोई हो तो DashBoard पर जाकर Report Remaining Pdf पर Click करें और ग्राम पंचायत व वार्ड का नम्बर सलेक्ट कर Message Box में Message Type कर Save बटन पर Click करें।

(vii) ध्यान दें कि Approve for PDF बटन पर Click करने के बाद फिर प्रपत्र अपलोड करना संभव नहीं होगा। अतः यह बटन पूर्णतः सुनिश्चित होने के बाद ही click करें।

6. आपके द्वारा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के पश्चात् आयोग द्वारा संबंधित मतदाता सूची की पीडीएफ प्रारूप प्रकाशन के लिए आपको उपलब्ध करा दी जायेगी।

7. यह भी निर्देशित किया जाता है कि, आपके यहाँ यदि किसी पंचायती राज संस्था के नाम में कोई परिवर्तन हुआ हो तो उसको चैक कर यथा अपेक्षित संशोधन भी कर लें। ध्यातव्य है कि, उक्त समस्त कार्य एक-दो दिवस में पूर्ण किया जा सकता है। इसलिए दिशा निर्देश प्राप्त होते ही इसे तुरन्त करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(सत्यप्रकाश बसवाला) 08/11/2014
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक: 8-11-2014

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014/ 7710-7718

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज0, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव/सहायक, सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
7. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
8. कम्प्यूटर शाखा को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने तथा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने हेतु।
9. समस्त शाखाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन) 08/11/2014
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर